

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 576]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 23 अक्टूबर 2017—कार्तिक 1, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2017

क्र. 16638-227-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 21 सितम्बर 2017 को राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३० सन् २०१७

भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०१६

विषय—सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८९९ का संख्यांक २ का संशोधन.
३. धारा २ का संशोधन.
४. धारा ३५ का संशोधन.
५. धारा ४० का स्थापन.
६. धारा ४१ का स्थापन.
७. धारा ४५ का संशोधन.
८. धारा ४७-क का लोप.
९. धारा ४८-ख का स्थापन.
१०. धारा ५३ का संशोधन.
११. धारा ७३ का स्थापन.
१२. धारा ७६-क का स्थापन.
१३. मूल अधिनियम की अनुसूची १-क का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३० सन् २०१७

भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०१६

[दिनांक २१ सितम्बर, २०१७ राष्ट्रपति महोदय की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २३ अक्टूबर, २०१७ को प्रथम बार प्रकाशित की गई]

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का संख्यांक २) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०१६ है.

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ (१८९९ का संख्यांक २) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८९९ का संख्यांक २ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २ में,—

धारा २ का संशोधन.

(एक) खण्ड (११) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(११) “सम्यक् रूप से स्टाम्पित” से जब वह, किसी लिखत के बारे में प्रयुक्त है, यह अभिप्रेत है कि इस अधिनियम की अनुसूची १ एवं अनुसूची १-क के अनुसार प्रभार्य समुचित रकम से अन्यून रकम का स्टाम्प उस लिखत पर लगा हुआ है तथा ऐसा स्टाम्प भारत में तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार लगाया गया है या उपयोग में लाया गया है;”;

(दो) खण्ड (११) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(११-क) “ई-स्टाम्प अथवा इलैक्ट्रानिक स्टाम्प” से अभिप्रेत है स्टाम्प शुल्क के भुगतान को निर्दिष्ट करने के लिए सृजित कोई इलैक्ट्रानिक रिकार्ड अथवा कागज पर उसकी छाप;”;

(तीन) खण्ड (१२) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(१२-क) “परिबद्ध” से अभिप्रेत है, लिखत को इस संदर्भ में उस पर किए गए पृष्ठांकन के साथ लोक अधिकारी की अभिरक्षा में लेना;”;

(चार) खण्ड (१६-क) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

“(१६-ख) “बाजार मूल्य” से किसी ऐसी सम्पत्ति के संबंध में, जो किसी लिखत की विषयवस्तु है, अभिप्रेत है इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों में अधिकथित रीति में इस हेतु सशक्त अधिकारी द्वारा अवधारित वह कीमत, जो ऐसी लिखत के निष्पादन की तारीख को यदि खुले बाजार में विक्रय किया जाता तो उस संपत्ति के लिए प्राप्त हुई होती या प्राप्त होगी, अथवा लिखत में उपदर्शित प्रतिफल, जो भी लागू हो;

“(१६-ग) “बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों” से अभिप्रेत है, राज्य में विभिन्न ग्रामों, निवेश क्षेत्रों, नगरपालिकाओं, निगमों एवं पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित अन्य क्षेत्रों में संपत्ति से संबंधित लिखत पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता अवधारित करने के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत स्थावर सम्पत्ति के बाजार मूल्यों की सूची;”;

(पांच) खण्ड (२४) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(२४) “व्यवस्थापन” से किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का कोई ऐसा लिखित निर्वसीयती व्ययन अभिप्रेत है, जो—

(क) विवाह के प्रतिफल के लिए किया गया है,

(ख) व्यवस्थापक की संपत्ति को उसके कुटुम्ब के बीच वितरित करने के प्रयोजन के लिए किया गया है, या

(ग) किसी धार्मिक या पूर्त प्रयोजन के लिए किया गया है,

और इसके अंतर्गत ऐसा व्ययन करने के लिए किया गया कोई लिखित करार सम्मिलित है और, जहां कि कोई ऐसा व्ययन लिखित में नहीं किया गया है, वहां किसी ऐसे प्रयोजन के निबन्धनों को, चाहे वह न्यास की घोषणा के तौर पर हो या अन्य प्रकार का हो, अभिलिखित करने वाली कोई लिखत;”;

(छह) खण्ड (२६) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(२६) “स्टाम्प” से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के प्रयोजन के अन्तर्गत शुल्क प्रभारित करने हेतु, राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी एजेन्सी या व्यक्ति द्वारा कोई चिन्ह, मुद्रा या पृष्ठांकन और इसमें आसंजक अथवा छापित मुद्रा, अथवा ई-स्टाम्प सम्मिलित है.”.

धारा ३५ का
संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ३५ में, परन्तुक में,—

(एक) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

(क) कोई ऐसी लिखत, उस शुल्क के जिससे कि वह प्रभार्य है, भुगतान कर दिये जाने पर अथवा उस लिखत की दशा में, जो अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित है, ऐसे शुल्क को पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम, स्टाम्प शुल्क की कमी वाले भाग के लिए प्रति माह अथवा उसके भाग के लिए लिखत के निष्पादन की तारीख से दो प्रतिशत के बराबर शास्ति का भुगतान कर दिये जाने पर साक्ष्य में ग्राह्य, रजिस्ट्रीकृत अथवा अधिप्रमाणित होगी. परन्तु किसी भी मामले में इस प्रकार संगणित की गई शास्ति की राशि वसूल किए जाने वाले कम स्टाम्प शुल्क की मूल राशि से अधिक नहीं होगी;”;

(दो) खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“(घ) इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) के अध्याय ९ या अध्याय १० के भाग घ के अधीन की कार्यवाही से भिन्न दाण्डिक न्यायालय की किसी कार्यवाही में किसी लिखत को साक्ष्य में ग्रहण किए जाने से निवारित नहीं करेगी;”;

(तीन) परन्तुक (च) का लोप किया जाए.

५. मूल अधिनियम की धारा ४० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा ४० का स्थापन.

“४०. (१) जबकि कलक्टर किसी लिखत को, जो रसीद या विनिमय-पत्र या वचन-पत्र नहीं है, धारा ३३ के अधीन परिबद्ध करता है, या धारा ३८ की उपधारा (२) के अधीन उसे भेजी गई किसी लिखत को प्राप्त करता है, तब वह निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा—

परिबद्ध की गई लिखतों को स्टाम्पित करने की कलक्टर की शक्ति.

(क) यदि उसकी यह राय है कि ऐसी लिखत सम्यक् रूप से स्टाम्पित है या शुल्क से प्रभार्य नहीं है, तो वह उस पर पृष्ठांकन द्वारा यह प्रमाणित करेगा कि वह यथास्थिति, सम्यक् रूप से स्टाम्पित है या वह इस प्रकार से प्रभार्य नहीं है;

(ख) यदि, जांच करने के पश्चात्, उसकी यह राय है कि ऐसी लिखत शुल्क से प्रभार्य है और वह सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है, तो वह यह अपेक्षा करेगा कि उचित शुल्क या उसे पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम, स्टाम्प शुल्क की कमी वाले भाग के लिये प्रति माह अथवा उसके भाग के लिए लिखत के निष्पादन की तारीख से दो प्रतिशत के बराबर शास्ति का भुगतान किया जाए तथा उस पर पृष्ठांकन द्वारा यह प्रमाणित करेगा कि वह सम्यक् रूप से स्टाम्पित है. यह रकम उस व्यक्ति द्वारा देय होगी, जो कि शुल्क का भुगतान करने के लिये दायी हो:

परन्तु किसी भी मामले में इस प्रकार संगणित की गई शास्ति की राशि वसूल किए जाने वाले कम स्टाम्प शुल्क की मूल राशि से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि जब ऐसी लिखत केवल इस कारण से परिबद्ध की गई है कि वह धारा १३ या धारा १४ के उल्लंघन में लिखी गई है, तब यदि कलेक्टर, यह ठीक समझे तो, इस धारा द्वारा विहित की गई पूरी शास्ति की माफी दे सकेगा;

(ग) इस अध्याय के अधीन जांच के प्रयोजन के लिए, कलक्टर को साक्षियों को जिनमें लिखत के पक्षकार अथवा उनमें से कोई सम्मिलित है, समन करने तथा हाजिर कराने की तथा उसी माध्यम से और जहां तक हो सके, उसी रीति में दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए विवश करने की शक्ति होगी जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का संख्यांक ५) के अधीन किसी सिविल न्यायालय के मामले में उपबन्धित है;

(घ) कलक्टर द्वारा उपधारा (१) के अधीन पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश के विरुद्ध, विहित रीति में, सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित अधिकारी को अपील कर सकेगा:

परन्तु कोई अपील ग्राह्य नहीं की जाएगी, जब तक कि ऐसा व्यक्ति कलक्टर द्वारा आदेशित कम स्टाम्प शुल्क की राशि का कम से कम २५ प्रतिशत जमा नहीं कर देता. ऐसी राशि अपीलीय अधिकारी के अंतिम आदेश के अनुसार देय राशि के विरुद्ध समायोज्य अथवा जमा किए जाने की तारीख से प्रति माह या उसके भाग के लिए एक प्रतिशत ब्याज के साथ वापसी योग्य होगी;

(ङ) खण्ड (घ) के अधीन अपील में पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश के विरुद्ध, विहित रीति में, मुख्य नियंत्रक, राजस्व प्राधिकारी को अपील कर सकेगा;

(च) प्रत्येक प्रथम तथा द्वितीय अपील उस आदेश की, जिसके कि विरुद्ध अपील फाईल की गई हो, संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर उस आदेश की, जिसके संबंध में आपत्ति की गई हो, एक प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ फाईल की जाएगी तथा ऐसी रीति में, उपस्थापित एवं सत्यापित की जाएगी, जो कि विहित की जाए:

परन्तु पूर्वोक्त कालावधि की संगणना करने में वह समय अपवर्जित कर दिया जाएगा, जो कि उस आदेश की, जिसके कि विरुद्ध अपील की गई हो, प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिये अपेक्षित हो;

(छ) अपीलीय प्राधिकारी, अपील का विनिश्चय करने में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जैसी कि विहित की जाए:

परन्तु कोई भी आदेश अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा.

(ज) यथास्थिति प्रथम अथवा द्वितीय अपील में पारित आदेशों के अधीन रहते हुए, कलक्टर द्वारा उपधारा (१) के अधीन पारित किया गया आदेश अन्तिम होगा और किसी भी सिविल न्यायालय में या किसी भी अन्य प्राधिकारी के समक्ष चाहे वह कोई भी हो, प्रश्नगत नहीं किया जाएगा.

(२) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपधारा (१) के खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन प्रत्येक प्रमाण-पत्र, उसमें वर्णित विषयों का निश्चायक साक्ष्य होगा.

(३) जहां कि कोई लिखत धारा ३८ की उपधारा (२) के अधीन कलक्टर को भेजी गई है, वहां कलक्टर इस धारा द्वारा यथा उपबंधित कार्यवाही कर लेने के पश्चात् उसे परिबद्ध करने वाले अधिकारी को लौटा देगा."

धारा ४१ का स्थापन.

६. मूल अधिनियम की धारा ४१ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

घटनावश असम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखतें.

"४१. रसीद या विनिमय-पत्र या वचन-पत्र से भिन्न कोई ऐसी लिखत, जो शुल्क से प्रभार्य है और सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा स्वप्रेरणा से उसके निष्पादन अथवा प्रथम निष्पादन की तारीख के एक वर्ष के भीतर कलक्टर के समक्ष पेश की जाती है और ऐसा व्यक्ति कलक्टर की जानकारी में यह तथ्य लाता है कि ऐसी लिखत सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है और उचित शुल्क की रकम, अथवा उसे पूरा करने के लिए अपेक्षित रकम स्टाम्प शुल्क की कमी वाले भाग के लिये प्रति माह अथवा उसके भाग के लिए लिखत के निष्पादन की तारीख से दो प्रतिशत के बराबर ब्याज के साथ चुकाने की कलक्टर को प्रस्थापना करता है, और कलक्टर का समाधान हो जाता है कि ऐसी लिखत घटनावश, भूल या अत्यधिक आवश्यकता के परिणामस्वरूप सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं हो पाई थी, तो वह ऐसी रकम स्वीकार कर सकेगा और इसके पश्चात् इसमें विहित रूप से आगे की कार्यवाही करेगा:

परन्तु किसी भी मामले में इस प्रकार संगणित ब्याज की राशि वसूल किए जाने वाले कम स्टाम्प शुल्क की मूल राशि से अधिक नहीं होगी."

धारा ४५ का संशोधन.

७. मूल अधिनियम की धारा ४५ में,—

(एक) उपधारा (१) का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

(२) जहां कि मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी की राय में उस शुल्क से जो वैध रूप से प्रभार्य है, अधिक स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया गया है और उसका भुगतान कर दिया गया है, वहां ऐसी प्राधिकारी भुगतान के छह माह के भीतर लिखित रूप से आवेदन किया जाने पर उस आधिक्य को, अवधारित की गई प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए वापस लौटा सकेगा."

८. मूल अधिनियम की धारा ४७-क का लोप किया जाए.

धारा ४७-क का लोप.

९. मूल अधिनियम की धारा ४८-ख के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा ४८-ख का स्थापन.

“४८-ख. जहां किसी लिखत की प्रति से स्टाम्प शुल्क की कमी ध्यान में आती है, वहां कलक्टर मूल लिखत पर संदत्त शुल्क की रकम की पर्याप्तता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए, आदेश द्वारा उस व्यक्ति से, जिसके कब्जे या अभिरक्षा में वह मूल लिखत है, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसी मूल लिखत पेश करे. यदि मूल लिखत, आदेश में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर उसके समक्ष पेश नहीं की जाती है, तो यह उपधारणा की जाएगी कि मूल लिखत सम्यक् रूप से स्टाम्पित नहीं है और कलक्टर धारा ४० में उपबंधित रीति में कम स्टाम्प शुल्क के साथ-साथ शास्ति की वसूली हेतु कार्यवाही कर सकेगा:

जहां किसी लिखत की प्रति से स्टाम्प शुल्क की कमी ध्यान में आती है.

परन्तु कलक्टर का यह प्रमाण-पत्र कि दस्तावेज सम्यक् रूप से स्टाम्पित है, मूल दस्तावेज पर पृष्ठांकित किया जाएगा:

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन कोई भी कार्यवाई, ऐसी लिखत के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के पश्चात् नहीं की जाएगी.”.

१०. मूल अधिनियम की धारा ५३ में, खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

धारा ५३ का संशोधन.

“(ग) स्वविवेकानुसार, प्रत्येक रुपये या रुपये के प्रभाग के लिए दो नये पैसे कटौती करके उसी मूल्य के बराबर धनराशि.”.

११. मूल अधिनियम की धारा ७३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा ७३ का स्थापन.

“७३. प्रत्येक लोक अधिकारी या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन निगमित कोई निकाय जिसकी अभिरक्षा में कोई रजिस्टर, पुस्तकें, अभिलेख, कागज, दस्तावेज, कार्यवाहियां या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हैं, जिसके निरीक्षण का यह परिणाम हो सकता है कि कोई शुक्ल अभिप्राप्त हो या किसी शुल्क के संबंध में कपट या लोप साबित या प्रकट हो जाए, कलक्टर द्वारा लिखित में प्राधिकृत किए गए, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९०८ (१९०८ का १६) में यथा परिभाषित उप पंजीयक की पदश्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी अधिकारी को ऐसे प्रयोजन के लिये किसी फीस या प्रभार के बिना उन रजिस्ट्रों, पुस्तकों, अभिलेखों, कागजों, दस्तावेजों, कार्यवाहियों तथा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का निरीक्षण सभी युक्तियुक्त समयों पर करने देगा और ऐसी प्रतियां, टिप्पण और उद्धरण लेने देगा जो वह आवश्यक समझे. यदि आवश्यक हो तो, ऐसा प्राधिकृत अधिकारी धारा ३३ के अधीन दस्तावेज परिबद्ध करने हेतु लोक अधिकारी अथवा संबंधित व्यक्ति को निर्देश देगा जिसमें असफल रहने पर वह स्वयं उसे परिबद्ध करने हेतु कार्यवाही करेगा.

पुस्तकें आदि निरीक्षण के लिये खुली रहेंगी.

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए “कलक्टर” से अभिप्रेत है जिले का कलक्टर.”.

१२. मूल अधिनियम की धारा ७६-क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

धारा ७६-क का स्थापन.
कतिपय शक्तियों का प्रत्यायोजन.

“७६-क. (क) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उसे प्रदत्त समस्त या कोई शक्ति मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को, और

(ख) अधिनियम के अधीन मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी को प्रदत्त की गई समस्त या कोई शक्ति राज्य सरकार के ऐसे अधीनस्थ अधिकारियों को, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं,

प्रत्यायोजित कर सकेगी.”.

अनुसूची १-क का संशोधन.

१३. मूल अधिनियम की अनुसूची १-क में अनुच्छेद ३६ (दान) के स्पष्टीकरण, अनुच्छेद ४८ (विभाजन) के स्पष्टीकरण-एक, अनुच्छेद ५० (मुख्तारनामा) के स्पष्टीकरण-एक, अनुच्छेद ५४ (निर्मुक्ति) के स्पष्टीकरण तथा अनुच्छेद ५७ (व्यवस्थापन) के स्पष्टीकरण-दो में शब्द "बहन" के स्थान पर शब्द "बहन, पुत्र-वधु" स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 23 अक्टूबर 2017

क्र. 16638-227-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 30 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 30 of 2017

THE INDIAN STAMP (MADHYA PRADESH AMENDMENT) ACT, 2016

TABLE OF CONTENTS

Sections :

1. Short title and commencement.
2. Amendment of Central Act No. II of 1899 in its application to the State of Madhya Pradesh.
3. Amendment of Section 2.
4. Amendment of Section 35.
5. Substitution of Section 40.
6. Substitution of Section 41.
7. Amendment of Section 45.
8. Deletion of Section 47-A.
9. Substitution of Section 48-B.
10. Amendment of Section 53.
11. Substitution of Section 73.
12. Substitution of Section 76-A.
13. Amendment of Schedule 1-A.

MADHYA PRADESH ACT

No. 30 OF 2017

THE INDIAN STAMP (MADHYA PRADESH AMENDMENT) ACT, 2016

[Received the assent of the President on the 21st September, 2017; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 23rd October, 2017].

An Act further to amend the Indian Stamp Act, 1899 in its application to the State of Madhya Pradesh.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-seventh year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Indian Stamp (Madhya Pradesh Amendment) Act, 2016.

Short title and commencement.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. The Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899) (hereinafter referred to as the principal Act) shall in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided.

Amendment of Central Act No. II of 1899 in its application to the State of Madhya Pradesh.

3. In Section 2 of the principal Act,—

Amendment of Section 2.

(i) for clause (11), the following clause shall be substituted, namely:—

“(11) “Duly Stamped” as applied to an instrument means that the instrument bears a stamp of not less than the proper amount chargeable as per the Schedule I and Schedule-1-A to this Act and that such stamp has been affixed or used in accordance with the law for the time being in force in India;”;

(ii) after clause (11), the following clause shall be inserted, namely:—

“(11-A) “e-stamp or electronic stamp” means an electronic record or its impression on paper, created to denote the payment of stamp duty;”;

(iii) after clause (12), the following clause shall be inserted, namely:—

“(12-A) “Impound” means to take an instrument into custody of the Public Officer with an endorsement made thereon in this regard;”;

(iv) after clause (16-A), the following clauses shall be inserted, namely:—

“(16-B) “Market value” in relation to any property which is the subject matter of an instrument, means the price which such property would fetch or would have fetched if sold in the open market on the date of execution of such instrument determined by the Authority empowered to do so in the manner laid down under this Act or rules made thereunder, or the consideration stated in the instrument, whichever applicable;

(16-C) “Market value Guidelines” means the set of market values of immovable property in different villages, planning areas, municipalities, corporations and other areas in the State notified by the designated Authority under rules made under this Act for the purpose of determining chargeability of an instrument related to the property, with stamp duty;”;

(v) for clause (24), the following clause shall be substituted, namely:—

“(24-) Settlement means any non-testamentary disposition, in writing, of movable or immovable property made—

- (a) in consideration of marriage,
- (b) for the purpose of distributing property of the settler amongst his family, or
- (c) for any religious or charitable purpose,

and includes an agreement in writing to make such a disposition and, where any such disposition has not been made in writing, any instrument recording, whether by way of declaration of trust or otherwise, the terms of any such disposition; ”;

(vi) for clause (26), the following clause shall be substituted, namely:—

“(26) “Stamp” means any mark, seal or endorsement by any agency or person duly authorized by the State Government, and includes an adhesive or impressed stamp, or e-stamp, for the purpose of duty chargeable under this Act,”.

**Amendment of
Section 35.**

4. In Section 35 of the principal Act, in the proviso,—

(i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

“(a) any such instrument shall be admitted in evidence, registered or authenticated on payment of the duty with which the same is chargeable, or, in the case of an instrument insufficiently stamped, of the amount required to make up such duty together with a penalty of two percent of the deficient portion of stamp duty for every month or part thereof, from the date of execution of the instrument, but in no case the amount of penalty so calculated shall exceed the principal amount of deficit stamp duty to be recovered;”;

(ii) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:—

“(d) nothing herein contained shall prevent the admission of any instrument in evidence in any proceeding in a Criminal Court, other than a proceeding under Chapter IX or part D of chapter X of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974);”;

(iii) clause (f) shall be deleted.

**Substitution of
Section 40.**

**Collector's
power to stamp
instruments
impounded.**

5. For Section 40 of the principal Act, the following Section shall be substituted, namely:—

“40. (1) When the Collector impounds any instrument under section 33, or receives any instrument sent to him under sub-section (2) of Section 38, not being a receipt or a bill of exchange or promissory note, he shall adopt the following procedure—

- (a) if he is of opinion that such instrument is duly stamped or is not chargeable with duty, he shall certify by endorsement thereon that it is duly stamped, or that it is not so chargeable, as the case may be;
- (b) if, after holding an enquiry, he is of opinion that such instrument is chargeable with duty and is not duly stamped, he shall require the payment of the proper duty or the amount required to make up the same, together with a penalty of two percent

of the deficient portion of stamp duty for every month or part thereof from the date of execution of the instrument and shall certify by endorsement thereon that it is duly stamped. The amount shall be payable by the person liable to pay the duty:

Provided that in no case the amount of penalty so calculated shall exceed the principal amount of deficit stamp duty to be recovered:

Provided further that, when such instrument has been impounded only because it has been written in contravention of Section 13 or Section 14, the Collector may, if he thinks fit, remit the whole penalty prescribed by this Section;

- (c) for the purpose of enquiry under this chapter, the Collector shall have the power to summon and enforce the attendance of witnesses, including the parties to the instrument or any of them and to compel the production of documents by the same means and so far as may be in the same manner as is provided in the case of Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908);
- (d) any person aggrieved by an order of the Collector under sub-section (1) may, in the prescribed manner, appeal against such order to the officer notified by the State Government in this regard:

Provided that no appeal shall be admitted unless such person has deposited at least 25 percent of the amount of deficit stamp duty as ordered by the Collector. Such amount shall be adjustable against the amount payable as per final order of the appellate authority, or refundable together with an interest of one percent for every month or part thereof from the date of deposit;

- (e) any person aggrieved by an order passed in appeal under clause (d) may appeal against such order to the Chief Controlling Revenue Authority in the prescribed manner;
- (f) every first and second appeal shall be filed within thirty days from the date of communication of the order against which the appeal is filed, along with a certified copy of the order to which the objection is made and shall be presented and verified in such manner as may be prescribed:

Provided that in computing the period aforesaid, the time requisite for obtaining a copy of the order appealed against shall be excluded;

- (g) the appellate authority, in deciding the appeal, shall follow such procedure as may be prescribed:

Provided that no order shall be passed without affording opportunity of being heard to the appellent.

- (h) subject to orders passed in first or second appeal, as the case may be, the order passed by the Collector under sub-section (1) shall be final and shall not be called into question in any Civil Court or before any other authority whatsoever.
- (2) Every certificate under clause (a) and (b) of sub-section (1) shall, for the purposes of this Act, be conclusive evidence of the matters stated therein.
 - (3) Where an instrument has been sent to the Collector under sub-section (2) of Section 38, the Collector shall, when he has dealt with it as provided by this Section, return it to the impounding officer."

Substitution of Section 41.**Instruments unduly stamped by accident.**

6. For Section 41 of the Principal Act, the following Section shall be substituted, namely:

“41. If any instrument chargeable with duty and not duly stamped, not being a receipt or a bill of exchange or promissory note, is produced by any person of his own motion before the Collector within one year from the date of its execution or first execution and such person brings to the notice of the Collector the fact that such instrument is not duly stamped and offers to pay to the Collector the amount of the proper duty, or the amount required to make up the same, together with an interest of two percent of the deficient portion of stamp duty for every month or part thereof, from the date of execution of the instrument, and the Collector is satisfied that the omission to duly stamp such instrument has been occasioned by accident, mistake or urgent necessity, he may, receive such amount and proceed as next hereinafter prescribed:

Provided that in no case the amount of interest so calculated shall exceed the principal; amount of deficit stamp duty to be recovered.”.

Amendment of Section 45.

7. In Section 45 of the principal Act,—

- (i) sub-section (1), shall be deleted;
- (ii) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely;—

“(2) Where, in the opinion of the Chief Controlling Revenue Authority, stamp duty in excess of that which is legally chargeable has been charged and paid, such Authority may, upon application in writing made within six months of the payment, refund the excess, following procedure as prescribed.”.

Deletion of Section 47-A.

8. Section 47-A of the principal Act shall be deleted.

Substitution of Section 48-B.**Where the deficiency of stamp duty is noticed from a copy of any instrument.**

9. For Section 48-B of the principal Act, the following Section shall be substituted, namely:—

“48-B. Where the deficiency of stamp duty is noticed from a copy of any instrument, the Collector may, by order, require the production of the original instrument from a person in possession or in custody of the original instrument for the purpose of satisfying himself as to the adequacy of amount of duty paid thereon. If the original instrument is not produced before him within the period specified in the order it shall be presumed that the original document is not duly stamped and the Collector may proceed in the manner provided in Section 40 for the recovery of deficit stamp duty and penalty:

Provided that the certificate of the Collector that the document is duly stamped, shall be endorsed on the original document:

Provided further that no action under this Section shall be taken after a period of five years from the date of execution of such instrument.”.

Amendment of Section 53.

10. In Section 53 of the principal Act, for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

“(c) at his discretion, the Same value in money, deducting two naye paise for each rupee or fraction of a rupee.”.

Substitution of Section 73.**Books etc., to be open to inspection.**

11. For Section 73 of the principal Act, the following Section shall be substituted, namely:—

“73. Every Public Officer or any authority or body incorporated by or under any law for the time being in force having in his custody any registers, books, records, papers,

documents, proceedings or electronic records, the inspection whereof may tend to secure any duty, or to prove or lead to the discovery of any fraud or omission in relation to any duty, shall, at all reasonable times, permit any officer, not below the rank of sub-registrar as defined in the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), authorised in writing by the Collector, to inspect for such purpose the registers, books, records, papers, documents, proceedings and electronic records and to take such copies, notes and extracts as he may deem necessary, without fee or charge. If necessary, such authorised officer shall direct the public officer or the person to impound the document under Section 33. failing which he shall proceed himself to impound the same.

Explanation—For the purpose of this Section Collector means the Collector of the district.”.

12. For Section 76-A of the principal Act, the following Section shall be substituted, namely:—

Substitution of Section 76-A.

“76-A. The State Government may, by Notification in the official Gazette. delegate—

Delegation of certain powers.

- (a) all or any of the powers conferred on it to the Chief Controlling Revenue Authority, and
- (b) all or any of the powers conferred on the Chief Controlling Revenue Authority under the Act to such subordinate officers of the State Government as may be specified in the notification.”.

13. In Schedule 1-A to the principal Act, in Explanation to article 36 (Gift), Explanation-1 to article 48 (Partition), Explanation—1 to article 50 (Power of Attorney), Explanation to article 54 (Release) and Explanation-II to article 57 (Settlement), for the word “sister”, the words “sister, daughter-in-law” shall be substituted.

Amendment of Schedule 1-A.